न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

अपील संख्याः 27/2023 GCMS No.—2023/515

1 लाली पुत्री छोटू पत्नि गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम बीड तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. मोगरी पुत्री छोटू पत्नि भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम बासडा तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
3. मनफूली पुत्री छोटू पत्नि ग्यारसीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम थूणी, मंगलदास तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1 जमना देवी पत्नि रामनारायण मीणा पुत्री रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा पोस्ट टोडाभाटा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. काली देवी पत्नि कृष्ण कुमार मीणा पुत्री रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम विजयपुरा पोस्ट टोडाभाटा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. लाडा देवी पत्नि हरिमोहन पुत्री रामनाथ जाति मीणा निवसी ग्राम चावण्डिया, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. भागूति देवी पत्नि घोलू पुत्री रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम चावण्डिया, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. शांति पत्नि बाबूलाल पुत्री रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम चपडिया तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
6. गोपी पत्नि स्व. श्री रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम शंकरपुरा, पोस्ट काशीपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर हालनिवासी टोडाभाटा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर। नाम हजफ
7. गोपी पत्नि श्री जगन्नाथ प्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम शंकरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
8. रामा देवी पत्नि श्री रामकिशोर जाति मीणा निवासी ग्राम शंकरपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
9. तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार बस्सी, दिनांक 04.07.2011 अर्न्तगत नामान्तकरण संख्या 137 ग्राम शंकरपुरा, तहसील बस्सी।

उपस्थितः—
1. श्री ताराचन्द मीणा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री अवधेश पारीक अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 06.02.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बस्सी के निर्णय दिनांक 04.07.2011 जिससे नामान्तरकरण संख्या 137 वाके ग्राम शंकरपुरा, तहसील बस्सी रेस्पाडेन्ट संख्या 6 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 12.09.2012 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर रेस्पाडेन्ट संख्या 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री अवधेश पारीक उपस्थित आये। तहसीलदार बस्सी से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

अपील मीमो ही बहस माने जाने का कथन किया एवं रेस्पा0 सख्या 7 व 8 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों अनुसार अपीलांट्स के पिता स्व0 छोटू के स्वामित्व की खातेदारी भूमि वाके ग्राम शंकरपुरा तहसील बस्सी में स्थित है। अपीलांट्स के पिता स्व0 छोटू का स्वर्गवास सन् 1981 में हो गया एवं स्व0 छोटू के कोई पुत्र संतान नहीं होकर सिर्फ अपीलांट्स एवं उसकी बेवा गंगा पत्नि छोटू थी लेकिन रेस्पा0 संख्या एक लगायत 5 के पिता व रेस्पा0 संख्या 6 के पति रामनाथ ने अपीलांट्स के पिता छोटू का स्वयं को दत्तक पुत्र कहते हुये राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया जबकि रामनाथ अपने पिता जादू का इकलौता पुत्र था इसलिए वह गोद नहीं जा सकता था एव ना ही अपीलांट्स के पिता एवं माता गंगादेवी ने रामनाथ पुत्र जादू को गोद लिया। रेस्पाडेन्ट संख्या एक लगायत 6 के पिता रामनाथ के नाम दर्ज अवैध अंकन को दुरूस्त करवाने के लिये अपीलांट की माता गंगा देवी ने एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूर्व जयपुर के यहां दिनांक 09.09.1996 को प्रस्तुत किय। न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कम संख्या 2 जयपुर के यहां विचाराधीन वाद बाबत घोषणा बाबत विक्रय पत्र निरस्त किये जाने विचाराधीन है। रामनाथ ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज अवैध अंकन के आधार पर रेस्पाडेन्ट संख्या सात व आर्ठ को दिनांक 26.08.1996 को नुमाइशी विक्रय पत्र अनुबन्ध पत्र कर दिया उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट्स के हितो के विपरीत तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पा0 संख्या 7 व 8 के हक में दिनांक 04.07.2011 को तस्दीक कर दिया। अपीलाधीन नामान्तकरण पटवारी हल्का दिनांक 05.04.1999 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया था एवं दिनांक 11.04.1999 को गिरदावर हल्का द्वारा रिपोर्ट की गयी। जिसके 11 वर्ष पश्चात बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये रेस्पाडेन्ट संख्या 9 तहसीलदार बस्सी ने अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 7 व 8 के हक में दिनांक 04.07.2011 को तस्दीक कर दिया। अपीलाधीन नामान्तकरण जिस विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया उसको अपीलांट्स द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर में चुनौती दी है। अधीनस्थ न्यायालय को विवादित भूमि को लेकर वाद विचाराधीन होने की बखूबी जानकारी होते हुए भी अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। अपीलांट्स को दिनांक 16.08.2012 को गांव के मौजीज व्यक्तियों से तहसीलदार बस्सी के द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी होने पर उसकी नकल तहसील कार्यालय बस्सी से दिनांक 21.08.2012 को प्राप्त की जिस पर अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुई एवं अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 137 दिनांक 04.07.2011 निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार अपीलांट्स एवं उनकी माता स्वयं बयान देकर रामनाथ के नाम नामान्तकरण तस्दीक करवाया था। अपीलांट का आराजी जैर अपील के कब्जा काश्त एवं खातेदारी से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अपीलाधीन नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक हुआ एवं उक्त विक्रय पत्र को अपीलांट ने माननीय सिविल न्यायालय में चुनौती दी एवं अपीलांट का वाद माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2017 को खारिज किया जा चुका है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक में विलम्ब हुआ है। अपीलांट की माता व रामनाथ के हक में तस्दीक नामान्तकरण की अपील व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 31.05.2011 को खारिज होने के पश्चात कोई स्थगन आदेश नहीं होने के कारण दिनांक 04.07.2011 को वैधानिक रूप तस्दीक हुआ है। अपील अपीलांट प्रथम दृष्टया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार अपील पेश की गयी है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार बस्सी द्वारा मुताबिक पंजीबद्व विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया है। तहसीलदार बस्सी द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन मूल नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 137 पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक पंजीबद्व विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 7 व 8 के हक में दर्ज किया गया। जिसे तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 04.07.2011 को स्वीकार किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि जिस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उस विक्रय पत्र को अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश जयपुर के समक्ष चुनौती दी गयी। न्यायालय जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांक 12.04.2017 से अपीलांट का वाद बाबत विक्रय पत्र निरस्त किये जाने खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक के समय अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में स्थगन आदेश अंकित होने का अपील में उज्र किया है। अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में भी उपखण्ड अधिकारी बस्सी का स्थगन आदेश दिनांक 31.05.2011 को खारिज किया जाना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से भी जाहिर है कि स्थगन वेकेट हो जाने की टिप्पणी के साथ दिनांक 04.07.2011 तहसीलदार बस्सी द्वारा तस्दीक किया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है एवं नामान्तकरण रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया जिसको निरस्त किये जाने के संबंध में अपीलांट का वाद माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा खारिज किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलांट के हक, हकूक अधिकार किसी प्रकार से है तो भी अधिकारों की धोषणा नियमित वाद में ही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायाल की मिसल निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)